15.53 PROJ.SPL SEC TECH EDU U P 0091 [illegible] TO:[illegible]

संख्या 2434 / 16–प्रा0शि0–3–2008–40(22) / 2008

प्रेषक,

[illegible] [illegible]

[illegible] सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

प्राविधिक शिक्षा

उत्तर प्रदेश, कानपुर ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ दिनांक [illegible] जनवरी, 2009

विषय– निजी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तरीय नई संस्था खोले जाने हेतु अनापत्ति प्रदान किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या [illegible]048 / ई–एआईसीटीई / निजी क्षेत्र / [illegible]ओरी / बैठक / 2008, दिनांक 17–9–2008 के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव / संस्तुति पर शासनादेश [illegible] संख्या 2003 / सोलह प्रा0शि0–3–2003–10(8) / 2003, दिनांक [illegible] 12 2003 में दी गयी [illegible] [illegible] महोदय [illegible] सत्र 2008–09 से प्रदेश के निजी क्षेत्र में निम्न पालीटेक्निक संस्था खोले जाने एवं उसमें सम्मुख अंकित विवरणानुसार पाठ्यक्रमों को निम्न शर्तों के अधीन संचालित किये जाने [illegible] सरकार की अनापत्ति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

सोसायटी / ट्रस्ट का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अवधि
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] वेलफेयर एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम व पोस्ट मदनपुर, फिरोजाबाद	श्रीमती आर0एल0 सुमन उच्चतर प्राविधिक शैक्षिक संस्थान, मदनपुर, फिरोजाबाद	(1) पी0जी0डी0 इन ब्यूटी एण्ड हेल्थ केयर	60	01 वर्षीय
		(2) पी0जी0डी0 इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	60	02 वर्षीय
		(3) डिप्लोमा माडर्न आफिस मैनेजमेंट एण्ड सैक्रेटेरियल प्रैक्टिस	60	02 वर्षीय
		(4) डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉरमेशन साइंस	60	02 वर्षीय
		(5) डिप्लोमा इन [illegible] [illegible]	60	02 वर्षीय

––2/––

प्रधानाचार्य

श्रीमती आर.एल.सुमन

यू.पी.एस. (पॉलीटेक्निक) संस्थान

मदनपुर (फिरोजाबाद)

प्रधानाचार्य

श्रीमती आर.एल.सुमन

यू.पी.एस. (पॉलीटेक्निक) संस्थान

मदनपुर (फिरोजाबाद)

ATTESTED

प्रधानाचार्य

श्रीमती आर.एल. सुमन यू.पी.

एस. (पॉलीटेक्निक) संस्थान

मदनपुर फिरोजाबाद (उ0प्र0)

(2) संस्था द्वारा उपरिअंकित पाठ्यक्रम को प्रारम्भ/संचालित करने से पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा ।

(3) संस्था के उपरिअंकित पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त करना होगा ।

(4) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त करने के पश्चात् ही उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित किया जायेगा ।

(5) संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये अधि /नियमों/उपनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों/आदेशों/निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी ।

(6) उपरिवर्णित पाठ्यक्रमों हेतु संस्था में छात्रों/छात्राओं के प्रवेश का कार्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही किया जायेगा तथा इसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

(7) संस्था के उपरिवर्णित पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके छात्र/छात्राओं की वार्षिक परीक्षा को सम्पन्न कराने एवं परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को डिप्लोमा प्रदान करने का कार्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा ही प्रदान किया जायेगा ।

(8) संस्था के उपरिवर्णित पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता का निर्धारण तथा उसमें कोई परिवर्तन केवल राज्य सरकार की अनुमति से ही किया जायेगा । दूसरे शब्दों में संस्था को स्वयं अपनी तरफ से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता को घटाने या बढ़ाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार न होगा । इस प्रवेश क्षमता में परिवर्तन का अधिकार एक मात्र राज्य सरकार में ही निहित रहेगा ।

(9) संस्था द्वारा छात्र/छात्राओं से केवल उतना ही शिक्षण शुल्क लिया जायेगा जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय संस्था के लिए बाध्यकारी होगा । संस्था को स्वयं अपनी तरफ से शुल्क निर्धारण करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(10) संस्था राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने नियमों/आदेशों के अनुरूप छात्र/छात्राओं के प्रवेश में प्रयुक्त आरक्षण नीति का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रधानाचार्य
श्रीमती आर.एल.सुमन
यू.पी.एस. (पोलीटेक्निक) संस्थान
मदनपुर (फिरोजाबाद)

श्रीमती आर.एल. सुमन
यू.पी.एस / पोलीटेक्निक) संस्थान
मदनपुर (फिरोजाबाद)

ATTESTED

प्रधानाचार्य
श्रीमती आर.एल. सुमन यू.पी.एस
(पोलीटेक्निक) संस्थान
मदनपुर फिरोजाबाद (उ०प्र०)

[illegible] को यह अधिकार होगा कि वह इससे सम्बन्धित किसी भी [illegible] निर्देश अपने स्तर से जारी कर सकेंगे तथा [illegible] के पालन करने के लिए ट्रस्ट / सोसाइटी / संस्था बाध्य होगी ।

[illegible] उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम-1962 एवं उसमें [illegible] समय-समय पर [illegible] संशोधनों के प्राविधानों को मानने के लिए बाध्य होगी ।

[illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 3063 / सोलह-प्रा0शि0-3-2003-46(8) / 2002 दिनांक [illegible] एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या 1192 / सोलह-प्रा0शि0-3-2007-46(8) / 2002 दिनांक 29-10-2007 में निर्धारित सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं [illegible] निदेशक प्राविधिक शिक्षा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा और उसके पश्चात ही संस्था को सम्बद्धता प्रदान की जायेगी ।

भवदीय,

([illegible])

[illegible]

[illegible]-[illegible]-[illegible]/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, कानपुर ।
[illegible] [illegible] क्षेत्रीय कार्यालय [illegible]
[illegible] परिषद कानपुर ।
[illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद [illegible] लखनऊ ।
[illegible] प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
- [illegible] ।
- [illegible]

आज्ञा से,

[illegible]

प्रधानाचार्य
श्रीमन्त आर.एल.सुमन
यू.पी.एस. (पॉलीटेक्निक) संस्थान
मदनपुर (फिरोजाबाद)

ATTESTED

प्रबन्धक
श्रीमन्त आर.एल.सुमन
यू.पी.एस. (पॉलीटेक्निक) संस्थान
मदनपुर, फिरोजाबाद

प्रधानाचार्य
श्रीमन्त आर. एल. सुमन यू.पी.एस.
यू.पी. (पॉलीटेक्निक) संस्थान
मदनपुर, फिरोजाबाद (उ0प्र0)

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या– प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ: दिनांक: 15–5–2019

—कार्यालय ज्ञाप—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14–5–2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019–20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019–20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद–2 में डिप्लोमा इन इं0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श उपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया –

"संलग्नक–1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक–1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019–20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2019–20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उनके अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/बी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019–20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019–20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
	[illegible]	श्रीमती आर0एन0 [illegible] प्राविधिक शैक्षिक संस्थान [illegible]	[illegible]	60	60
			[illegible]		
			डिप्लोमा इन [illegible]	60	60
			[illegible]	60	60
			[illegible]	60	60
			[illegible]	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1997 तथा अन्य [illegible] आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित [illegible] पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30,150.00/ प्रतिवर्ष दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु0 [illegible] तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम को [illegible]) हेतु रु0– 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले [illegible] और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा [illegible] 2019–20 हेतु [illegible] किया जाता है तो फीस की नवीनतम दरें [illegible]।
- ✓ संस्था उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा [illegible] तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली–2002 की शर्तों का अनुपालन [illegible]।

ATTESTED

(हस्ताक्षर)
प्रबन्धक
श्रीमती आर0 [illegible]
[illegible]